न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 35/2017 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

देना बैंक, शाखा– लक्ष्मणगढ़, वार्ड नम्बर– 19, सीकर रोड़, लक्ष्मणगढ़, जिला –सीकर राज.

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र बेजनाथ नाई
   पताः– रामदेव मंदिर के पास, वार्ड नं. 27, लक्ष्मणगढ़, जिला– सीकर राजस्थान– 332311
2. योगेश पुत्र ताराचन्द नाई
   पताः– रामदेव मंदिर के पास, वार्ड नं. 27, लक्ष्मणगढ़, जिला– सीकर राजस्थान– 332311
3. हरिश पुत्र ताराचन्द नाई
   पताः– रामदेव मंदिर के पास, वार्ड नं. 27, लक्ष्मणगढ़, जिला– सीकर राजस्थान– 332311

अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

सत्यमेव जयते
Web Copy-Not Official

निर्णय

निर्णय दिनांकः दिसम्बर, 2017

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुरेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **ताराचन्द, योगेश, हरिश** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में Equitable mortgage of plot No. 161/10 admeasuring 1280 Sq. Ft. situated at Ward No.-27, Laxmangarh, Dist.-Sikar, को बंधक रखकर **7,45,000**/–रूपये (अक्षरे रूपये **सात लाख पैंतालीस हजार** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **29.04.2017** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणीगण को दिनांक **29.04.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **ताराचन्द, योगेश, हरिश** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक Equitable Mortgage of Plot No. 161/10 admeasuring 1280 Sq. Ft. situated at Ward No.-27, Laxmangarh, Dist.-Sikar, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः   दिसम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official